

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर।

पत्रांक :- जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2013-14 5/

दिनांक : 6-3-13

प्रमाणांक:

अवंत लाल गौरी पाठशालासीट 210 स्कूल लयावर

(312/1)

विषय :- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक _____ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी संलग्न निर्देशों के प्रतिनिधित्व से मैं

अवंत लाल गौरी पाठशालासीट 210 स्कूल लयावर

(विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा

_____ से कक्षा _____ तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उरामे किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाखंड 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाखंड 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय उपाखंड 1 में उक्त कक्षा के बालकों की संख्या के प्रतिफल तक भारत-मॉडल की संरचना में बालकों को स्वीकार करेगा और सभी निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपबंध पूरे हो जाने तक पालन करेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्ति स्वीकार करने के लिए विद्यालय एक पृथक सेट बनाए रखेगा।
5. उपाखंड 1 विस्तार किसी भी प्रकार नहीं करेगा और निर्दिष्ट बालकों या उक्त कक्षा के बालकों के लिए अधिनियम उपाखंड 1 के उपबंधों का पालन करेगा।

